

फर्द अहकाम

बनाम

दि	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
28/8/17	<p>राजकी अल राजस्व लोक अदालत न्याय आपके इन कानून <u>व्यक्ति</u> में पेश करने का अधिकार है। कोई निर्णय पारित नहीं होने तक अतिरिक्त कार्यवाही हेतु परावली दिनांक <u>28/8/17</u> को पेश हो।</p>	
28/8/17	<p>परावली पेश करने (5वीं फीट प्रांकी को अप्रामाणीय ठहराए जाने से निवारण हेतु अतिरिक्त कार्यवाही की दिशा में दिनांक परावली दिनांक 17/11/17 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी बस्ती जिला जयपुर</p>
27/12/17	<p>परावली पेश करने वकील प्रांकी को अप्रामाणीय ठहराए जाने से निवारण हेतु अतिरिक्त कार्यवाही की दिशा में दिनांक परावली वार्ड नलवी दिनांक 27/12/17 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी बस्ती जिला जयपुर</p>
27/12/17	<p>परावली पेश करने! प्रांकी व वकील प्रांकी अकुत्पत्तिका! कार्रवाई आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया! अंतिम आवाज 5:10 PM पर लगाई गई! मुलावादे अंतिम एडिसरी व अंतिम शैरवी संपत्तिका आवेश वलीभम 5 CPC व 151 CPC में रखा है। लिमा जा सकता है! असा! मुलावादे को रखा है। लिमा से शन प्रांकी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहे जाते! असा! प्रांकी पर अकार्य ही प्रमाणों को रखा है। लिमा जाते है।</p>	

28/1/17